के.जी. वालिया और अन्य,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 1570।

28 अगस्त, 1989.

भारत का संविधान, 1950-कला. 226, 309—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966—एस. 82(6)-पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड, I, भाग I- नियम। 2.44 और 6.19-सी - "परिलब्धियों" में "वेतन" शामिल है - "विशेष वेतन" - इसे "वेतन या परिलब्धियों" से बाहर नहीं किया जा सकता है - नियमों को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कर्मचारियों के नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है - कला के तहत बनाए गए नियम। 309—क्या कार्यकारी आदेशों द्वारा संशोधित या संशोधित किया जा सकता है।

माना गया कि उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अस्थिर है और याचिकाकर्ताओं का दावा स्वीकार किया जाना चाहिए। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 6.19-सी में प्रावधान है कि, जब पेंशन की गणना के उद्देश्य के लिए "परिलब्धियाँ" शब्द का उपयोग किया जाता है, तो उसका अर्थ "वेतन" होगा जैसा कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I के नियम 2.44 में परिभाषित किया गया है। , भाग I, जैसा कि यह 1 नवंबर, 1966 से ठीक पहले था। "परिलब्धियों" के "वेतन" की परिभाषा से "विशेष वेतन" 1 का कोई बहिष्कार नहीं किया गया था। इन नियमों को याचिकाकर्ताओं के नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी प्राप्त किए बिना, हरियाणा के उत्तराधिकारी राज्य। चूंकि ऐसी कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है, इसलिए विवादित पत्र दिनांक 3 नवंबर, 1988, अनुलग्नक पी/2, याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है और उनके नुकसान के लिए काम नहीं कर सकता है।

(पैरा 8)

यह माना गया कि पेंशन, ग्रेच्युटी, वेतन, मजदूरी आदि की प्रकृति के सेवा नियमों में प्रावधान कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का हिस्सा हैं और ये नियम चाहे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए हों, या भारत सरकार के तहत बनाए गए हों। भारत, अधिनियम, 1935, या भारत सरकार अधिनियम, 1919, को केवल कार्यकारी आदेशों द्वारा संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वह आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा "विशेष वेतन" को पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए "वेतन" की परिभाषा के साथ-साथ "परिलब्धियों" की परिभाषा से बाहर रखा गया है, अवैध, शून्य और शून्य है।

(पैरा 9)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका प्रार्थना करते हुए कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें: -

(i) मैं आदेश, अनुलग्नक 'पी/2' से 'पी/5' से संबंधित उत्तरदाताओं के रिकॉर्ड के लिए एक रिट जारी करता हूं और उसके अवलोकन के बाद पेंशन के बकाया के भुगतान को स्थगित कर देता हूं। सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून. 1988 और नियम 2.44 पंजाब सी.एस.आर., खंड ।, भाग । में निहित परिलब्धियों की परिभाषा को बदलने वाले संशोधन को रद्द किया जाए;

(ii) 1 जुलाई से पेंशन के निर्विवाद बकाया का भुगतान करने के लिए 1 प्रतिवादी संख्या को निर्देशित करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी करें। 1988 से इस रिट याचिका के अंतिम निपटान तक 1 जनवरी, 1986 से 30 जून, 1988 तक बकाया राशि के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की खरीद के संबंध में आवेदन जमा करने पर जोर दिए बिना;

(iii) उत्तरदाताओं को भुगतान करने का निर्देश देने वाला एक आदेश जारी करें! सेवानिवृत्ति की तारीख से 30 जून, 1988 तक पेंशन के बकाया के देर से भुगतान पर ब्याज;

(iv) कोई अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जैसा कि माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे जैसा कि इस रिट याचिका के मुख्य भाग में दिया गया है;

(v) उत्तरदाताओं को प्रस्ताव के नोटिस की पूर्व सेवा से छूट देना क्योंकि यदि उस पर जोर दिया गया, तो इस रिट याचिका को दायर करने से प्राप्त होने वाले उद्देश्य में अनावश्यक रूप से देरी होगी;

(vi) अनुबंध के रूप में संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट;

(vii) याचिकाकर्ताओं को इस रिट याचिका की लागत का पुरस्कार देना।

याचिकाकर्ता के वकील एम. एल. पुरी।

एस. सी. मोहंता, ए.जी. (हरियाणा) के साथ बी. एस. पवार, डी.ए.जी. (हरियाणा), उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री

(1) यह निर्णय 1989 की दो रिट याचिकाओं संख्या 1570 और 3196 का निपटारा करेगा, जो हरियाणा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा दायर की गई हैं - जिनकी संख्या दस है, जिनकी शिकायत पेंशन की गणना की पद्धति और तरीके के खिलाफ है। इसका भुगतान.

(2) याचिकाकर्ता 1 नवंबर, 1956 से पहले पूर्ववर्ती पंजाब और पेप्सू राज्यों में सेवा में शामिल हुए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के पुनर्गठन के साथ, याचिकाकर्ताओं को नवगठित राज्य के कर्मचारियों के रूप में एकीकृत किया गया था। पंजाब का. याचिकाकर्ता 31 अक्टूबर, 1966 तक पंजाब राज्य के कर्मचारियों के रूप में काम करते रहे और 1 नवंबर, 1966 से उन्हें उत्तराधिकारी हरियाणा राज्य को आवंटित कर दिया गया। यह हरियाणा राज्य से है कि याचिकाकर्ता विभिन्न तिथियों से सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं - वे सभी 1 जून 1988 से पहले।

(3) कर्मचारियों की परिलब्धियों की प्रचलित संरचना और सेवा की शर्तों की जांच करने के साथ-साथ पेंशनभोगियों के लिए एक उचित पेंशन संरचना की दृष्टि से जांच करने के उद्देश्य से चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर गठन किया गया। , अतीत और भविष्य दोनों, हरियाणा राज्य ने वेतन संशोधित किया

1 जनवरी, 1986 से अपने कर्मचारियों के वेतनमान प्रभावी। पेंशन लाभ के पुनरीक्षण और उदारीकरण के संबंध में प्रभावी सरकार का निर्णय 3 नवंबर, 1988 को परिचालित किया गया था, जिसे उसी तारीख को जारी एक अन्य संचार, अनुलग्नक पी / 2 और पी द्वारा जारी किया गया था। /3 क्रमशः, जबकि उपरोक्त पॉलिसी पत्रों और दिनांक 23 जनवरी, 1989 (अनुलग्नक पी/4) में पेंशन की गणना की विधि और उसका भुगतान करने के तरीके के संबंध में विभिन्न प्रकृति के पेंशन लाभ प्रदान किए गए थे। . इन निर्णयों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दलीलों के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है:

(1) यद्यपि 1 जनवरी 1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन की दरों को संशोधित किया गया है, फिर भी विभिन्न सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभों की गणना के उद्देश्य से 'परिलब्धियाँ' शब्द का अर्थ 'मूल वेतन' होगा पंजाब के नियम 2. 44(ए)(i) में परिभाषित

सिविल सेवा नियम, खंड ।, भाग 1. यानी, उसमें से "विशेष वेतन" को छोड़कर।

(2) नीति निर्णय में एक शर्त जोड़ी गई है कि "30 जून, 1988 तक आदेश के कार्यान्वयन के आधार पर देय होने वाले सभी प्रकार के बकाया का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में दीर्घकालिक जमा के रूप में किया जा सकता है।" /राष्ट्रीय बचत योजनाएँ", यानी नकद में नहीं।

(4) अब तक 31 सेकंड। पेंशन लाभ के बकाया के भुगतान के संबंध में याचिकाकर्ताओं की शिकायत, इस न्यायालय ने 3 नवंबर, 1988 के उपरोक्त नीति पत्र (अनुलग्नक पी) में निहित इस शर्त को पहले ही रद्द कर दिया है। 2), अपने फैसले में (जगदेव कृष्ण नंदा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) (एल)जे दिनांक 11 अगस्त, 1989। इसमें यह माना गया था कि इस तरह के राइडर को कार्यपालिका द्वारा वैधानिक

नियमों में पेश नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत प्रावधान करने वाले वैधानिक नियमों के विपरीत निर्देश। परिणामस्वरूप, उस निर्णय में, राज्य सरकार को इस आशय का एक निर्देश जारी किया गया कि "3 नवंबर, 1988 के पत्र में दिए गए निर्णय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लाभ की गणना की जाएगी और याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा और अन्य कर्मचारियों को भी इसी तरह चार महीने की अवधि के भीतर नकदी में स्थित किया गया। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की इस शिकायत का समाधान किया जाता है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, 3 नवंबर 1988 के पत्रों (अनुलग्नक पी/3) में समान निर्देश शामिल हैं और

(1) सीडब्ल्यूपी। 1989 का 1990, 11 अगस्त 1989 को निर्णय हुआ।

दिनांक 23 जनवरी, 1989 (अनुलग्नक पी/4), पेंशन लाभ की बकाया राशि को राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में निवेश करने के संबंध में/; राष्ट्रीय बचत योजनाएं भी रद्द हो गईं।

(5) सेवानिवृत्ति और अन्य पेंशन लाभों की गणना की विधि के संबंध में याचिकाकर्ताओं का मामला भी उतना ही सराहनीय और कानूनी रूप से सशक्त है, क्योंकि जिस आधार पर पेंशन की राशि की गणना की जानी है, उस आधार पर "परिलब्धियां" शब्द की गणना नहीं की जा सकती है। केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी के 'मूल वेतन' तक ही सीमित है। इसमें "विशेष वेतन" को भी शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि यह पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड ।, भाग । के नियम 2.44 के तहत "वेतन" अभिव्यक्ति की परिभाषा में शामिल था।

(6) याचिकाकर्ताओं के मामले का मुख्य आधार यह है कि 1 नवंबर, 1966 से ठीक पहले उन पर लागू सेवा की शर्तें, यानी, हरियाणा के उत्तराधिकारी राज्य को उनके आवंटन की तारीख, उनके नुकसान के अलावा नहीं बदली जा सकती थीं। केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी, 3 नवंबर, 1988 के लागू आदेश जैसे कार्यकारी आदेश से तो दूर, अनुबंध पी/2। चूंकि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले न तो केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी प्राप्त की गई है और न ही वैधानिक नियमों में संशोधन किया गया है, जो प्रकृति में कार्यकारी है, याचिकाकर्ता अपने द्वारा लिए गए "विशेष वेतन" को शामिल करके अपनी पेंशन की गणना करने के हकदार हैं। उनकी कुल परिलब्धियाँ, यानी सेवानिवृत्ति की तारीख पर उनके द्वारा लिया गया कुल वेतन।

(7) उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित बयान में, हालांकि सामरिक और कानूनी स्थिति से इनकार नहीं किया गया है, फिर भी उनके द्वारा लिया गया एकमात्र रुख यह है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तों में उनके नुकसान के अनुसार बदलाव नहीं किया गया है। आक्षेपित पत्र दिनांक 3 नवंबर, 1988 (अनुलग्नक पी/2), केवल मौजूदा वैधानिक प्रावधानों को दोहराया गया है। संक्षेप में, राज्य द्वारा की गई दलील यह है कि चूंकि राज्य सरकार विभिन्न सेवानिवृत्ति और अन्य पेंशन लाभों की गणना के तरीके को निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, इसलिए "परिलब्धियों" शब्द की परिभाषा को "मूल वेतन" तक ही सीमित रखा गया है। अकेले, जिससे किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त "विशेष वेतन" को बाहर रखा जा सके।

(8) पार्टियों के विद्वान वकील को सुनने और उनकी दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद, मेरा मानना है कि उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख कानून में पूरी तरह से अस्थिर है और याचिकाकर्ताओं का दावा उचित है

की अनुमति दी जाए। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 6.19-सी में प्रावधान है कि जब पेंशन की गणना के उद्देश्य के लिए "परिलब्धियाँ" शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका अर्थ "वेतन" होगा जैसा कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I के नियम 2.44 में परिभाषित किया गया है। भाग I, जैसा कि 1 नवंबर, 1966 से ठीक पहले था। "वेतन" या "परिलब्धियों" की परिभाषा से "विशेष वेतन" का कोई बहिष्कार नहीं था। सी.एस.आर. के नियम 6.19-सी. वॉल्यूम. II, और 2.44 सी.एस.आर. वॉल्यूम. I, भाग I, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“ए-पेंशन के लिए गणना की गई परिलब्धियाँ

6.19-सी. जब इस प्रयोजन के लिए 'परिलब्धियाँ' शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के नियम 2.44 में परिभाषित 'वेतन' होगा, जिसमें समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों द्वारा निर्धारित महंगाई वेतन भी शामिल है। जो कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति, या उसकी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले मिल रहा था।

"2.44 (ए) वेतन का अर्थ है एक सरकारी कर्मचारी द्वारा मासिक रूप से ली जाने वाली राशि: -

(i) उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए दिए गए विशेष वेतन या वेतन के अलावा वेतन, जो उसके द्वारा मूल रूप से या स्थानापन्न क्षमता में रखे गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है या जिसके लिए वह अपनी स्थिति के कारण हकदार है एक कैडर; और

(ii) विदेशी वेतन, विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन, और

(iii) कोई अन्य परिलब्धियाँ जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

पंजाब पुनर्गठन की धारा 82 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना, उत्तराधिकारी हरियाणा राज्य द्वारा याचिकाकर्ताओं के नुकसान के लिए इन नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अधिनियम अधिनियम, 1966। चूंकि ऐसी कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी, 3 नवंबर 1988 का विवादित पत्र, अनुबंध पी/2, याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है और उनके नुकसान के लिए काम नहीं कर सकता है।

(9) अन्यथा, यह भी, मेरे द्वारा यह तय किया गया है कि पेंशन, ग्रेच्युटी, वेतन, मजदूरी आदि की प्रकृति के सेवा नियमों में प्रावधान कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का हिस्सा हैं और ये नियम चाहे के अनुच्छेद 309 के तहत बनाया गया

भारत का संविधान, या भारत सरकार अधिनियम, 1935, या भारत सरकार अधिनियम3 1919 के तहत, केवल कार्यकारी आदेशों द्वारा संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, 3 नवंबर, 1988 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/2) जिसके द्वारा "विशेष वेतन" को पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए "वेतन" की परिभाषा के साथ-साथ "परिलब्धियों" से भी बाहर रखा गया है। अवैध, अशक्त और शून्य।

(10) तर्क की दृष्टि से भी देखने पर यह स्पष्ट होगा कि जब चतुर्थ वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1986 से अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया तो वह भी दोगुना हो गया। साथ ही दिनांक 11 जनवरी 1988 के आदेश द्वारा 1 जनवरी 1986 से प्रभावी "विशेष वेतन" की तत्कालीन मौजूदा दर, अनुलग्नक पी/एल। जब तक इरादा "वेतन" की परिभाषा में "विशेष वेतन" को शामिल करने के साथ-साथ पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए "परिलब्धियों" की परिभाषा में शामिल करने का नहीं था, तब तक विशेष वेतन को दोगुना करने की शायद ही कोई आवश्यकता थी। इसलिए, इस कारण से भी, "विशेष वेतन" को "वेतन" और "परिलब्धियों" का हिस्सा बनाना होगा।

(11) परिणामस्वरूप, इन याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और परमादेश रिट जारी करके, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित अन्य सभी कर्मचारियों को निम्नलिखित राहत देने का निर्देश दिया जाता है;

(1) कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले लिया गया विशेष वेतन "वेतन" की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। अन्य सभी सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभों के अलावा पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए "परिलब्धियाँ"; और

(2) दिनांक 3 नवंबर, 1988 के पत्र में निहित निर्णय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभ, अनुबंध पी/2आई पर काम किया जाएगा और कर्मचारियों को आज से चार महीने की अवधि के भीतर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से।

(12) याचिकाकर्ता इन याचिकाओं की लागत के भी हकदार होंगे जो रुपये में निर्धारित हैं। प्रत्येक मामले में 500.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया

जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)